कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/356 दिनांक 11 जुलाई 2019

जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/247 दिनांक 10 जून 2019 के द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के अन्तर्गत वर्तमान में निलम्बित चिकित्सालय **जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर** को 05 बिंदुओं के सम्बन्ध में अनियमितताएँ, अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी, षडयंत्र एवं दुरभि सन्धि किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के क्रम में जनसेवा हॉस्पिटल काशीपुर के संचालक डॉ0 विशाल हुसैन का उत्तर इस कार्यालय को ईमेल द्वारा 13.06.2019 को व डाक द्वारा दिनांक 17.06.2019 को प्राप्त हुआ। उत्तर का अध्ययन व परीक्षण करने उपरान्त लगाये गये 05 आरोपों के सम्बन्ध में बिंदुवार निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:–

1. <u>आरोप संख्याः 1–</u> अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण उत्तराखण्ड के साथ जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। डा0 विशाल हुसैन, जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के स्वयं मालिक हैं तथा इस अस्पताल में एकमात्र चिकित्सक भी वही हैं। सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गए प्रार्थना पत्र में यह कथन दिया गया है कि वे जनसेवा हॉस्पिटल में 24×7 उपलब्ध चिकित्सक हैं। एकमात्र चिकित्सक के लिए यह असंभव कृत्य है कि वह हॉस्पिटल में 24×7 उपलब्ध हो सके, ऐसी स्थिति में जनसेवा हॉस्पिटल के डा0 विशाल हुसैन का यह कथन मिथ्या प्रतीत होता है।

   <u>आरोप संख्या 1 का प्रतिउत्तर–</u>

   जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप संख्या 1 के प्रतिउत्तर में यह कहा गया हैं कि डॉ0 विशाल हुसैन जनसेवा हॉस्पिटल के उपर स्थित अपने निजी आवास में रहते हैं इसलिए

11.07.19

हर समय मरीजों की सेवा में उपस्थित रहना दुष्कर कार्य नहीं है। चिकित्सालय में उन्होनें अपनी सहायता हेतु अपनी बहन डॉ0 निशात रिज़वी को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य चिकित्सक डॉ0 ए0बी0 मिश्रा भी हैं।

<u>आरोप संख्याः 1– विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

डॉ0 विशाल हुसैन द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) के अन्तर्गत सूचीबद्ध (Empanel) कराने हेतु अपने प्रस्ताव (Proposal) में जो कि On Line आवेदन–पत्र के माध्यम से दिया गया, में उन्होंने यह उल्लेख (declare) किया कि वे अस्पताल में Duty Medical Doctor के रूप में round the clock उपलब्ध हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचीबद्धता हेतु दिये गये प्रस्ताव के अनुसार डॉ0 विशाल हुसैन जनसेवा हॉस्पिटल में एकमात्र डॉक्टर हैं।

डा0 विशाल हुसैन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वे अस्पताल के ऊपर अपने निजी आवास में रहते हैं, इसलिए हर समय मरीजों की सेवा में उपस्थित रहना दुष्कर कार्य नहीं है। उनका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अस्पताल में Duty Medical Officer के रूप में round the clock उपस्थिति आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी **"Guidelines on Process of Empanelment for Hospital"** के **Annexure–1** जिसमें सूचीबद्धता की अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया हैं, में यह निर्धारित है कि **"hospital applying for empanelment should have adequate MBBS doctors physically in charge round the clock."** डा0 विशाल हुसैन ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि वे अस्पताल में **Duty Doctor** के रूप में **round the clock** उपलब्ध नहीं हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि "The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत "National Council for Clinical Establishments" द्वारा बनाये गये न्यूनतम मानकों (minimum standards) के अनुसार अस्पताल द्वारा उपचार की प्रत्येक Speciality के लिए न्यूनतम एक "Round the Clock MBBS Duty Doctor" अस्पताल में उपलब्ध होना आवश्यक है।

डा0 विशाल हुसैन द्वारा अपने उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी बहन डा0 निशात रिज़वी तथा अन्य एक डाक्टर ए0बी0 मिश्रा को भी नियुक्त किया है। डा0 हुसैन द्वारा ऑन लाइन आवेदन–पत्र द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिये गये

11.07.19

प्रस्ताव में इन Doctors का उल्लेख नहीं किया गया है। योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता के पश्चात भी अस्पताल द्वारा on line किसी चिकित्सक को सम्मिलित करने हेतु आवेदन किया जा सकता है और राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उसका परीक्षण करके स्वीकृत किया जा सकता है। जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा डा0 निशात रिज़वी तथा डा0 ए0बी0 मिश्रा को अस्पताल में उपलब्ध Doctor में सम्मिलित करने हेतु कभी भी कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही SHA की स्वीकृति प्राप्त की गयी। डा0 निशात रिज़वी एवं डा0 ए0बी0 मिश्रा योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम एम0बी0बी0एस0 ऐलोपैथी की न्यूनतम योग्यता धारित करते हैं तथा उन्हें उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त है, इन तथ्यों का परीक्षण करने का कोई अवसर भी राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को उपलब्ध नहीं हुआ। अतः डा0 विशाल हुसैन का यह स्पष्टीकरण कि अस्पताल में डा0 निशात रिज़वी एवं डा0 ए0बी0 मिश्रा भी अस्पताल में कार्यरत हैं, असन्तोषजनक है तथा योजना के प्राविधानों के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है।

काशीपुर में आस्था हॉस्पिटल भी है, जिसके एकल स्वामी डा0 राजीव कुमार गुप्ता हैं। आस्था हॉस्पिटल के अनुबंध को SHA द्वारा दिनांक 13.05.2019 को निरस्त कर दिया गया है। डा0 राजीव कुमार गुप्ता ने अनुबंध निरस्तीकरण को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटिशन (WP MS 1408/2019) दायर करके चुनौती दी है। डा0 राजीव ने अपनी रिट याचिका के पैरा–8 में शपथ पत्र के साथ यह कथन दिया है कि "That as the petitioner is also working on contractual basis in Government hospital hence he appointed one MBBS doctor namely **Vishal Hussain** as a part time doctor who is working in the absence of petitioner, Dr Vishal is caring and giving treatment to the patients,...." उक्त कथन से स्पष्ट है कि आस्था हॉस्पिटल में डा0 विशाल हुसैन पार्ट टाइम डॉक्टर हैं। आस्था हास्पिटल द्वारा SHA से मरीजों के इलाज हेतु लिए क्लेम के अभिलेखों का परीक्षण करने पर भी यह विदित हुआ है कि आस्था हॉस्पिटल में भर्ती मरीज श्री शगुन कुमार (CASE/HOSP5P67289/D35131) की Discharge Summary पर डा0 विशाल हुसैन द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं। अतः डा0 विशाल हुसैन जो जनसेवा हॉस्पिटल में एकमात्र डाक्टर हैं, वे अपनी सेवायें आस्था हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं। अतः इस आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि डा0 विशाल

11.07.19

हुसैन एकल स्वामित्व के अपने जनसेवा हॉस्पिटल में Duty Medical Doctor के रूप में round the clock उपलब्ध डॉक्टर नहीं हैं।

उक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन पत्र भर कर जो प्रस्ताव (Proposal) दिया गया है, वह मिथ्या कथन (Misrepresentation) है, क्योंकि वे आस्था हॉस्पिटल काशीपुर में चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहते हुए जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में एकल चिकित्सक के रूप में Round the Clock उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। चूँकि डा0 विशाल हुसैन द्वारा जानबूझ कर गलत इरादे से योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये प्रस्ताव में मिथ्या/झूठा कथन किया गया हैं, अतः यह धोखाधडी (Fraud) की श्रेणी में आता है। अतः राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उनके प्रस्ताव पर दी गयी स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार Free Consent नहीं है तथा जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रस्ताव एक असम्भव कार्य को करने का प्रस्ताव है क्योंकि आस्था हॉस्पिटल काशीपुर में चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए डा0 विशाल हुसैन की जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में Round the Clock उपलब्धता सम्भव नहीं है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार "असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध" शून्य (Void) होने के कारण जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा जो भी क्लेम की धनराशि SHA से प्राप्त की गयी है, उसकी वसूली करने का अधिनियम के प्राविधानों अनुसार SHA को अधिकार है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रविधानो का विवरण निम्न प्रकार हैं–

17. "fraud defined

"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his

agents, with intent to deceive another party thereto or his agent, to induce him to enter into the contract;

(1) the suggestion as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true;

(2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;

(3) .....

(4) .....

(5) ....."

19. Voidability of agreements without free consent

"When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused....."

56. Agreement to do impossible act

"An agreement to do an act impossible in itself is void..... "

65. Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void

"When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) का कृत्य किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर SHA द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति बिना "Free Consent" के है तथा यह धोखाधड़ी पर आधारित है। परिणाम स्वरूप, जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर का सूचीबद्धता के सम्बन्ध में

11.07.19

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा ऐसे कार्य को करने का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात अनुबन्ध किया गया जो कि असम्भव है। आस्था हॉस्पिटल काशीपुर में चिकित्सक होने के कारण डा0 विशाल हुसैन का जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में Round the Clock उपलब्ध रहना असम्भव कार्य है। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही शून्य (*ab initio void*) है। ऐसी दशा में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा SHA से प्राप्त की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली SHA द्वारा की जानी चाहिए।

चूँकि जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अन्तर्गत धोखाधड़ी का कार्य (Fraud) किया गया है तथा धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध किया गया है, अतः जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध शून्य (Void) है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर से भुगतान की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर डा0 विशाल हुसैन के विरूद्ध आरोप संख्याः 1 पूर्णतया सिद्ध होता है।

2. **आरोप संख्याः** 2– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा, जिला ऊधम सिंह नगर में कोई भी चिकित्सक तैनात न होने के बावजूद मेडिकल ऑफिसर की मोहर लगाकर श्री अनुराग रावत, फार्मेसिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा 47 मरीजों को रेफर किया गया है। इस तरह से रेफरल का प्रकरण पूर्व में आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के केस में भी सामने आया था, जिस सम्बन्ध में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना द्वारा श्री अनुराग रावत, फार्मेसिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के विरुद्ध आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ मिलकर धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0219 दिनांक 18 मई, 2019 समय 18:40 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत दर्ज करायी जा चुकी है। वर्तमान

11.07.19

प्रकरण में जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर व श्री अनुराग रावत, फार्मेसिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा का यह कृत्य धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र का संदेह उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या 2 का प्रतिउत्तर–

जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा आरोप संख्या 2 के प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि मरीज को स्वयं ही रेफरल बनवाने के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में मरीज वहाँ से रेफरल बनवाता है जहाँ उसका काम आसानी से हो जाये। अस्पताल के कुछ मरीज केलाखेड़ा और उसके आस पास के क्षेत्र के हैं और वो अपने रिश्तेदारों व परिचितों को भी अस्पताल में इलाज के लिए लाते रहे हैं उनके लिए केलाखेड़ा से रेफरल लाना ही सुविधाजनक होता है। मरीज द्वारा रेफरल प्रस्तुत किये जाने पर कोई भी अस्पताल यह जाँच नहीं करता की रेफरल लेटर पर किसके हस्ताक्षर है और किसकी मोहर है। क्योंकि रेफरल लेटर पर हस्ताक्षर व मोहर होती थी अतः रेफरल लेटर को जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा स्वीकार किया जाता रहा।

आरोप संख्याः 3– जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध होने की तिथि से दिनांक 07 जून, 2019 तक कुल 73 मरीजों का इलाज किया गया। इनमें से 55 केसेस प्लान्ड केसेस (रेफरल के आधार पर) थे। इन रेफरल केसेस में कुल 47 रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा जारी किये गए हैं। **ये सभी के सभी 47 रेफरल एक ही हैंडराइटिंग में सेम पैटर्न पर तैयार किये गए हैं जो संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं।** इन 47 रेफरल में से 05 रेफरल ऐसे हैं जिनमें कोई दिनांक अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर के संचालक व एकमात्र चिकित्सक डा0 विशाल हुसैन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के फार्मेसिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा मिलकर धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र का कृत्य किया गया है।

आरोप संख्या 3 का प्रतिउत्तर–

जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा आरोप संख्या 3 के प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये गये रेफरल का एक ही हैन्ड राइटिंग में होना एवं एक ही पैटर्न में बने होना स्वाभाविक है।

11.07.19

<u>आरोप संख्याः 2 एवं 3 – विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

आरोप संख्या 2 एवं 3 में जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर का अध्ययन व परीक्षण करने के उपरान्त स्थिति इस प्रकार है। जनसेवा हॉस्पिटल में दिनांक 7 जून 2019 तक कुल 73 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें से 55 केसेस रेफरल के आधार पर प्लान्ड केसेस थे। 55 केसेस में से 47 केसेस में रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा जारी किये गये दिखाये गये हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा रेफरल जारी किया जाना जो कि काशीपुर से लगभग 30 कि0मी0 दूर है, अत्यंत संदेहास्पद है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध काशीपुर के अन्य चिकित्सालयों जैसे आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर, अली नर्सिंग होम, काशीपुर आदि को भी रेफरल निर्गत किये गये हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा जहाँ 47 रेफरल जनसेवा हॉस्पिटल को जारी किये गये हैं, वहीं 17 रेफरल आस्था हॉस्पिटल को तथा 12 रेफरल अली नर्सिंग होम को भी जारी किये गये हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के केस में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा श्री अनुराग रावत, फार्मेसिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के विरुद्ध आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ मिलकर रेफरल निर्गत करने के सम्बन्ध में धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0219 दिनांक 18 मई 2019 भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत दर्ज करायी जा चुकी है। ऐसे में इस दुरभि संधि में जनसेवा हॉस्पिटल के संचालक डॉ0 विशाल हुसैन के शामिल होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल को जारी किये गये 47 रेफरल में हैन्डराइटिंग एक सी प्रतीत होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैंक रेफरल फॉर्म जिसमें पहले से ही फॉर्मासिस्ट के हस्ताक्षर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा की मोहर थी, प्राप्त किये गये और एक ही व्यक्ति द्वारा उनको भरकर रेफरल के तौर में इस्तेमाल किया गया है। अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि रेफरलस् में हैण्डराइटिंग तथा जनसेवा हॉस्पिटल के मरीजों की मेडिकल/क्लिीनिकल रिपोर्टस् में हैण्डराइटिंग समान है। अतः निर्गत रेफरलस् के सम्बन्ध में जनसेवा हॉस्पिटल

11.07.19

द्वारा धोखाधड़ी किया जाना प्रतीत होता है। चूँकि यह प्रकरण आपराधिक कृत्य से सम्बन्धित है, अतः इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई पृथक से की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत किये गये रेफरलस् का परीक्षण करने पर मुख्य रूप से निम्न गम्भीर अनियमिततायें स्पष्ट हुई हैं–

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत 47 रेफरल (जिनके मरीजों द्वारा जनसेवा हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है) में सभी पर Medical Doctor की फर्जी मोहर लगायी गयी है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा में कोई भी Medical Doctor तैनात नहीं है।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा से सभी 47 रेफरल फार्मेसिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्गत किये हैं, जो रेफरल निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थापित (Established) व्यवस्था के अनुसार रेफरल को Medical Officer द्वारा ही निर्गत किया जाता है। अतः निर्गत किये गये सभी 47 रेफरलस् अनधिकृत हैं।

(iii) कुल 47 में से 45 रेफरलस् ऐसे हैं, जिन पर रेफरल संख्या अंकित नहीं है। अतः ये रेफरल रजिस्टर/रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। रेफरल को बिना रिकार्ड में दर्ज किये निर्गत करना एक गंभीर अनियमितता है।

(iv) कुल 47 रेफरलस् में से 36 रेफरल ऐसे हैं, जिनके अनुसार मरीज काशीपुर के निवासी हैं। काशीपुर से केलाखेड़ा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यह असम्भव है कि 36 मरीज 30 किलोमीटर जाकर केलाखेड़ा से रेफरल प्राप्त करें, (जहाँ Medical Doctor ही तैनात नहीं है) जबकि काशीपुर में ही राजकीय अस्पताल उपलब्ध है (जहाँ कई मेडिकल डाक्टर कार्यरत हैं), वहाँ से आसानी से रेफरल प्राप्त किये जा सकते थे।

(v) 6 रेफरल ऐसे भी हैं, जिन पर रेफरल निर्गत किये जाने की कोई तिथि अंकित नहीं है।

(vi) 13 रेफरल ऐसे हैं, जिन पर मरीजों का पूर्ण पता अंकित नहीं है।

(vii) 6 रेफरल ऐसे भी हैं जिन पर मरीज के रोग अथवा लक्षण (Symptoms) के सम्बन्ध में कुछ भी अंकित नहीं है।

11.07.19

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में क्लेम्स की दृष्टि से रेफरल की स्थिति का प्रश्न है, अध्ययन व परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि ये रेफरल वैध रेफरल्स नहीं हैं तथा ऐसे रेफरल के आधार पर अस्पताल द्वारा किये गये क्लेम अनुमन्य नहीं हो सकते हैं। अतः जनसेवा हॉस्पिटल काशीपुर पर लगाये गये आरोप संख्या–2 एवं 3 अवैध रेफरल के आधार पर अवैधानिक क्लेम प्राप्त किये जाने की दृष्टि से आरोप सिद्ध होता है।

3. आरोप संख्याः 4– अभिलेखों के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 07 जून 2019 तक 73 मरीजों में से 18 मरीजों का Acute febrile illness पैकेज के अंतर्गत तथा 13 मरीजों का Pyrexia of unknown origin पैकेज के अंतर्गत उपचार किया गया है। इस प्रकार कुल 73 मरीजों में से 31 मरीजों का उपचार केवल 02 पैकेज के अंतर्गत किया जाना संदेहास्पद है।

आरोप संख्या 4 का प्रतिउत्तर–

जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा आरोप संख्या 4 के प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि 31 मरीजों के अतिरिक्त शेष 42 मरीजों का अन्य 8 पैकेजो में इलाज किया गया है। किसी बीमारी के ज्यादा और किसी बीमारी के कम मरीज हो सकते हैं। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन 2 पैकेज की बात की उनमें भी किसी किसी मरीज को कोई अन्य शिकायत भी थी जैसे कोई डायबेटिक था तो किसी को लिवर की दिक्कत थी।

आरोप संख्याः 4– विश्लेषण एवं निष्कर्ष

आरोप संख्या 4 में जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर का अध्ययन व परीक्षण करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि आरोप में जिन 18 मरीजों का Acute febrile illness पैकेज के अंतर्गत तथा 13 मरीजों का Pyrexia of unknown origin पैकेज के अंतर्गत उपचार किया गया था, उन उपचारों के संदेहास्पद होने के सम्बन्ध में हॉस्पिटल द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है और जो प्रतिउत्तर दिया गया है वह अप्रासंगिक है तथा संतोषजनक नहीं है।

4. आरोप संख्याः 5– अभिलेखों के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 07 जून 2019 तक कुल 73 मरीजों का ईलाज किया गया है।

11.07.19

इन 73 केसेस में से 18 केसेस इमरजेंसी के हैं तथा 55 केसेस प्लान्ड हैं। कुल उपचारित मरीजों में से 14 केसेस में मरीजों का उपचार प्री–ऑथ इनिशियेशन/प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही कर दिया गया है। इन 14 रोगियों से सम्बन्धित विवरण कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 5 में दी गई तालिका में दिया गया था।

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

उपरोक्त प्रकरणों में 14 मरीजों के संबंध में Pre-Auth initiation/Pre-Auth Approval के बिना ही उपचार कर दिया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपरोक्त 14 केसेस में से 4 केसेस इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं तथा अन्य 10 केसेस प्लान्ड केसेस हैं। जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा Planned Cases में बिना प्री–ऑथ इनिशियेशन/अप्रूवल के तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये उपचार कर दिया गया। यह तथ्य दर्शाता है कि चिकित्सालय द्वारा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन न करते हुए अवैधानिक रूप से योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है। जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर का यह कृत्य मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने का संदेह भी उत्पन्न करता है।

आरोप संख्या 5 का प्रतिउत्तर–

जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा आरोप संख्या 5 के प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि अस्पताल द्वारा केवल प्री–आथ मिलने के बाद से डिस्चार्ज होने तक के बिल का ही क्लेम किया गया है वह भी न्यूनतम धनराशि का। यदि किसी मरीज को प्री–आथ मिलने से पूर्व ही इलाज शुरू किया गया है तो उसका खर्च न तो मरीज से लिया गया है और न ही

योजना के अन्तर्गत क्लेम लिया गया है, जिन मरीज का प्री–आथ मिलने से पूर्व इलाज शुरू किया गया है उनका इलाज शुरू होने से प्री–आथ मिलने तक की अवधि तक का खर्च अस्पताल द्वारा स्वंय वहन किया गया है।

आरोप संख्याः 5– विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उक्त आरोप एवं उनके सम्बन्ध में दिये गये प्रतिउत्तर के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा यह तो स्वीकार किया गया है कि ट्रीटमेंट प्री–ऑथ लेने से पूर्व ही किया गया, किंतु यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अस्पताल द्वारा प्री–ऑथ मिलने के बाद से डिस्चार्ज होने तक के बिल का ही क्लेम लिया गया है। जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा किये गये क्लेम के अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि कुल 14 मामलों में से निम्न 6 मामलों में अस्पताल द्वारा दिया गया उत्तर कि अस्पताल द्वारा केवल प्री–ऑथ मिलने के बाद से डिस्चार्ज होने तक के बिल का ही क्लेम किया गया है, सत्य नहीं है। इन 6 केसेस का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Table: List of Cases where EXCESS Claim Received by JANSEWA HOSPITAL KASHIPUR

S No	Case No	NHPM ID	Procedure Details	Admission Date	Preauth Approve Date	Discharge Date	Entitled Amount of Claim from Date of Preauth Approval to Date of Discharge (RS)	Claimed Amount (Rs)	Excess Amount Claimed (Rs)
1	CASE/HOSP5P 04721/D12444	PQM3C YUE4	UTI(M100013)	01/03/2019 12:00:00 AM	02/03/2019 12:43:33 AM	03/03/2019 12:00:00 AM	1800	3600	1800
2	CASE/HOSP5P 04721/D12478	P2LY8N 6UM	Neuromuscular disorders(M100040)	01/03/2019 12:00:00 AM	02/03/2019 02:13:33 AM	04/03/2019 12:00:00 AM	3600	5400	1800
3	CASE/HOSP5P 04721/D12481	P8PQ0U 9QC	UTI(M100013)	01/03/2019 12:00:00 AM	02/03/2019 02:28:33 AM	04/03/2019 12:00:00 AM	3600	5400	1800
4	CASE/HOSP5P 04721/D12727	PN4V10 GKF	Acute febrile illness(M100011)	02/03/2019 12:00:00 AM	03/03/2019 01:17:25 AM	05/03/2019 12:00:00 AM	3600	5400	1800
5	CASE/HOSP5P 04721/S18614	P9WK0I 92R	Malaria(M100014)	18/03/2019 12:00:00 AM	19/03/2019 02:36:46 PM	20/03/2019 12:00:00 AM	3600	5400	1800
6	CASE/HOSP5P 04721/D59313	PC6Y3N Z8M	Accelerated hypertension(M100007)	19/04/2019 12:00:00 AM	20/04/2019 04:49:53 AM	22/04/2019 12:00:00 AM	3600	5400	1800
						Total	19800	30600	10800

उक्त विवरण के आधार पर अस्पताल के स्वयं के स्पष्टीकरण के अनुसार 6 केसेस में कुल रू0 10,800/– रूपये का अधिक क्लेम प्रस्तुत किया गया है जो अस्पताल को अनुमन्य नहीं है। अतः आरोप संख्याः 5 इस सीमा तक सिद्ध होता है।

11.07.19

–आदेश–

जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/247 दिनांक 10 जून 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लगाये गये 5 आरोपों के क्रम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त आरोप संख्या 1, 2 तथा 3 की पुष्टि होती है। आरोप संख्या 5 भी आंशिक रूप से सिद्ध होता है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाइडलाइन्स, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने तथा धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु अनुबन्ध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते है–

i. जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसका de-empanelment किया जाता है।

ii. जनसेवा हॉस्पिटल काशीपुर के कुल **73 केसों** (धनराशि **रु0 282600/–**) के क्लेम निरस्त किये जाते है।

iii. जनसेवा हॉस्पिटल काशीपुर के कुल 73 केसेस में से 15 केसेस की धनराशि रू0 75600/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, के क्लेम निरस्त किये जाते है।

iv. कुल 73 केसेस में से 58 केसेस की धनराशि रू0 207000/– जो जनसेवा हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को 7 दिन में वापिस करें।

v. उपरोक्त 58 केसेस में वर्णित क्लेम की गई धनराशि रु0 207000/– पर दो गुना दण्ड रु0 414000/– भी लगाया जाता है।

vi. आरोप संख्या 5 में वर्णित 6 केसेस में से एक केस में क्लेम की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है, जो उक्त (iii) में सम्मिलित है तथा शेष 5 केसेस की धनराशि रु0 9000/–, जो वास्तविक क्लेम से अधिक है अनुमन्य नहीं है। यह धनराशि उक्त (iv) की धनराशि में सम्मिलित है।

11.07.19

vii. आरोप संख्या 5 में वर्णित 05 केसस की अधिक क्लेम की गई धनराशि रू0 9000/– पर पाँच गुना दण्ड रु0 45000/– भी लगाया जाता है।

viii. इस आदेश के बिंदु (iv), (v), (vi), (vii) में वर्णित कुल **धनराशि रू0 666000/– को जनसेवा हॉस्पिटल इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य** अभिकरण को वापिस करना सुनिश्चित करें।

ix. निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

इस आदेश को डा0 विशाल हुसैन, संचालक जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

11.07.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रुप से इस आदेश के आरोप संख्या 02 एवं 03 के सम्बन्ध में अनधिकृत/अवैध रैफरल निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 विशाल हुसैन, संचालक जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

11.07.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना